तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन करने पर निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है– **प्रार्थना पत्र सं– 54/2022** **बउनवान सुमित्रा वगै0 बनाम कल्याण वगै0** **निर्णय** संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 कल्याण पुत्र गोरधन व अन्य के संयुक्त स्वामित्व की कृषिभूमि खाता संख्या नया 59 पुराना 58 की कृषिभूमि खसरा संख्या 519 रकबा 0.87है0, खसरा संख्या 520 रकबा 1.15है0, खसरा संख्या 521 रकबा 1.15है0, खसरा संख्या 522 रकबा 0.82है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.99है0 कृषिभूमि वाके ग्राम जाडला पटवार क्षेत्र पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 में उक्त भूमि में खातेदार संख्या 1 व अन्य खातेदारान का नाम बतौर खातेदार अंकित है नकल वाद–पत्र के साथ संलग्न है। उक्त कृषिभूमि पुश्तैनी है। कृषिभूमि पुश्तैनी होने के कारण एवं दादा की सम्पूर्ण देखभाल करने की वजह से प्रार्थिगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 का जन्म से अधिकार निहित है। अप्रार्थी सं 1 प्रार्थिगण के पिता है जिसका उपरोक्त वर्णित आराजी में 1/2हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं 1 व 2 आपस में मिले हुये है जो प्रार्थीगण को वाद वर्णित भूमि में उनका हिस्सा नहीं देना चाहते है एवं पुश्तैनी कृषि भूमि को बेचकर अन्य स्थान पर जमीन खरीदने की धमकी देते है यही वाद कारण है। अन्त में प्रार्थिगण द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये नोटिस अप्रार्थिगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं 1 लगायत 2 को जवाब पेश करने हेतु बार–बार अवसर दिया गया किन्तु उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं कर प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में अनापत्ति जाहिर की, हस्ताक्षर उभयपक्ष अधिवक्ता के आदेशिका पर करवाये गए। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष सहमति होने से प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को उक्त वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 519 रकबा 0.87है0, खसरा संख्या 520 रकबा 1.15है0, खसरा संख्या 521 रकबा 1.15है0, खसरा संख्या 522 रकबा 0.82है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.99है0 कृषिभूमि वाके ग्राम जाडला पटवार क्षेत्र पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में जमाबंदी अनुसार निहित उनके हिस्से की आराजी के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम हो संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी(बून्दी)	

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)